राष्ट्रीयएलुमिनियमकंपनी(नेल्को)द्वारा एलुमिनियम प्रगालक (स्मेल्टर) के प्रदूषण स्तर का सर्वेक्षण

854. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार "नेल्को" के एलुमिनियम प्रगालक (स्मेल्टर) का प्रदूषण-स्तर बहुत अधिक ऊंचा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे नियंत्रित करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किए जाने वाले प्रदूषण-रोधी उपायों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) सरकार को किसी ऐसे सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि नेल्को के एलुयूमिनियम प्रगालक का प्रदूषण स्तर बहुत ऊंचा हो गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा उद्योगों से होने वाले प्रदूषणों पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नवत है:—

(1) अधिकांश प्रदूषणों के लिए निःस्राव और उत्सर्जन मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और इनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है;

(2) उद्योगों की स्थापना और प्रचालन के लिए पर्यावरणात्मक दिशा-निर्देश बनाए गए हैं;

(3) उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की अनुकूल शर्तों को पूरा करने के लिए कहा गया है;

(4) उद्योगों को समय-बद्ध आधार पर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का निर्देश दिया गया है;

(5) आस-पास के वायु स्तर के संबंध में मानदण्ड अधिसूचित किये गये हैं;

(6) औद्योगिक क्षेत्र के लिए ध्वनि प्रदूषण के संबंध में मानदण्ड अधिसूचित किए गए हैं;

(7) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थानान्तरित करने के लिए भी उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

(8) चालू योजना के तहत सामूहिक निःस्राव प्रतिपादन संयंत्रों की स्थापना के लिए लघु उद्योग यूनिटों के समूहों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

औद्योगिक विवादों तथा श्रमिकों से संबंधित मामलों का निपटान करने हेतु अधिकरण

855. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पांच वर्षों से अधिक वर्षों से लंबित पड़े औद्योगिक विवादों तथा श्रमिकों से संबंधित मामलों का निपटान करने हेतु और अधिक न्यायालय तथा अधिकरण गठित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या-क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मामलों के निपटान में गति लाने की दृष्टि से प्रक्रियात्मक बदलाव लाना एक सतत् प्रक्रिया है, हाल ही में इस संबंध में किए गए कुछ अधिक महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:—

— पीठासीन अधिकारियों द्वारा मामलों के निपटान के मानक नियम कर दिये गये हैं;

— दीर्घ काल से लम्बित मामलों के निपटान के लिए संभावित उपचारात्मक उपायों के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए समीक्षा बैठकें बुलाई जाती हैं;

— जबकि पुराने मामलों को अग्रता दी जाती है, परन्तु नये मामले उन न्यायालयों को दिये जाते हैं जहां कम मामले लम्बित हैं;

— विवाद पक्षों को स्थगन लेने से हतोत्साहित किया जाता है और जहां अपरिहार्य हो अल्पावधि स्थगन दिये जाते हैं। उन्हें सभी संबंधित औपचारिकताओं को यथाशीघ्र पूरा कर लेने के लिए भी कहा जाता है;